

सं. 163 / 2020 / स.म.नि.(मीडिया एवं विस्तार) / भा.वा.अ.शि.प. / चेयर ऑफ एक्सीलेंस

दिनांक : 15 जनवरी 2021

विस्तार निदेशालय

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

पी.ओ.- न्यू फॉरेस्ट, देहरादून- 248006 (उत्तराखण्ड)

‘वन प्रबंधन में प्रौद्योगिकीय उन्नति’ में चेयर ऑफ एक्सीलेंस हेतु विज्ञापन

## 1. लक्ष्य

- भारत तथा अन्य देशों में वन प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिक आविष्कारों जिसमें सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी एवं यंत्र सम्मिलित हैं, का अभिज्ञान करना।
- देश में वर्तमान पद्धतियों का अध्ययन करना, अंतरालों का अभिज्ञान तथा वन प्रबंधन में उपयोजन हेतु संभावित क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों/मशीनरी/यंत्रों इत्यादि का सुझाव देना।
- देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार देश में विकासशील एवं फैली हुई प्रौद्योगिकियों हेतु विषय में क्षेत्रों एवं अनुसंधान/विस्तार आवश्यकताओं का अभिज्ञान।

## 2. कार्य की व्यापकता, नियत कार्य (घटक) तथा अपेक्षित प्रदेय

- प्रौद्योगिकियों (सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, मशीनरी एवं यंत्रों को सम्मिलित कर) के उपयोग के संबंध में वन प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में देश तथा अन्य देशों की वर्तमान पद्धतियों का अध्ययन करना।
- भारत तथा अन्य देशों में अपनाई गई प्रौद्योगिकियों के उपयोजन हेतु क्षेत्र/स्थान का सुझाव देना।
- वर्तमान पद्धतियों के स्थान पर इन प्रौद्योगिकियों के उपयोजन की लागत के हितलाभों का विश्लेषण करना।
- पेटेंट अधिकारों का विश्लेषण, आयात व निर्माण, प्रौद्योगिकियों को अपनाने की लागत इत्यादि को सम्मिलित कर इन प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण हेतु प्रणाली का अध्ययन करना।

- देश की स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं पर अनुसंधान को सम्मिलित कर, विषय में अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों का सुझाव देना।
- अध्ययन के इन पक्षों को अभिलिखित करना तथा देश के विभिन्न हितधारकों के उपयोग हेतु प्रकाशन (ऑनलाइन व हार्ड कॉपी) प्रकाशित करना।
- विषय पर आउटरीच/प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना तथा प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विषय पर वन अनुसंधान संस्थान सम विश्वविद्यालय के छात्रों को विशिष्ट अकादमिक निविष्टियां प्रदान करना।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, चेयर को विषय-वस्तु से संबंधित कोई अन्यत्र कार्य भी प्रदान किए जा सकते हैं।

### 3. पात्रता मापदण्ड

#### 3.1 आवश्यक योग्यताएं

- i) डॉक्टोरेट के साथ वानिकी अनुसंधान/अकादमिक पेशेवर तथा प्रासंगिक क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव या ii) भारतीय वन सेवा में 15 वर्षों की सेवा के साथ स्नातकोत्तर, जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव वानिकी अनुसंधान/अकादमिक में होना चाहिए।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल में प्रकाशन।
- सफलतापूर्वक राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के परियोजना सूत्रीकरण/प्रबंधन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण में अनुभव।
- भारत सरकार के संगठनों के साथ कार्य करने तथा सरकारी/गैर सरकारी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग का अनुभव।

#### 3.2 वांछनीय योग्यताएं

- प्रासंगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति।
- विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अकादमिक परिषदों/निकायों का सदस्य अध्येता।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान को सम्मिलित कर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियों में अनुभव।

#### 4. राष्ट्रियता

चेयर के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा।

#### 5. आयु सीमा

चेयर के पद पर आवेदन करने वाला व्यक्ति दिनांक 31/01/2021 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

#### 6. मानदेय एवं सुविधाएं

- चेयर को मानदेय का भुगतान चेयर अध्येतावृत्ति के रूप में किया जाएगा।
- अध्येतावृत्ति की धनराशि समेकित रूप से रु. 80,000/- प्रति माह होगी। करों इत्यादि की कटौती भारत सरकार के यथा प्रचलित नियमों के अनुसार होगी।
- अध्येतावृत्ति का भुगतान भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।
- उपलब्धता के अनुसार, चेयर को सामान्य शुल्क के भुगतान पर छात्रावास/परिसर में आवास प्रदान किया जा सकता है।
- भा.वा.अ.शि.प. के नियमों के अनुसार चेयर को यात्रा व्यय की अनुमति होगी।
- विस्तार निदेशालय द्वारा चेयर को कार्यालय स्थान तथा सेक्रेटेरियट सहायता प्रदान की जाएगी।

#### 7. समीक्षा

इस विषय में गठित समीक्षा समिति द्वारा चेयर को प्रदान किए गए कार्य की प्रगति/प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।

#### 8. सामान्य शर्तें

- भा.वा.अ.शि.प. तथा चेयर पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के मध्य "वन प्रबंधन में प्रौद्योगिक उन्नति" हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- चेयर का कार्यकाल 12 माह की अवधि का होगा, जिसे महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा अधिकतम 12 माह की समयावधि तक बढ़ाया जा सकता है।
- चेयर अपने पद को दो माह का अग्रिम नोटिस देकर त्याग सकता है।
- चेयर का प्रदर्शन यदि संतोषजनक न होने पर, चेयर के कार्यकाल को महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. द्वारा कम किया जा सकता है।
- चेयर का मुख्यालय भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) होगा।
- चेयर द्वारा तैयार की गई समस्त सामग्री, माड्यूल, पाठ्यक्रम इत्यादि भा.वा.अ.शि.प. की संपदा होंगे।

## 9. मध्यस्थता

- किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. एकल मध्यस्थ होंगे।
- इन दिशा-निर्देशों या अन्यत्र के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निपटान चेयर के मुख्यालय के न्यायक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों में होगा।

**आवेदन करने की विधि** – इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं अनुभव इत्यादि के प्रमाण में समस्त अभिलेखों को अपने जीवन-वृत्त तथा *आहरण एवं सवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प. राजस्व खाते* के पक्ष में देय रू. 1000/- के डिमांड ड्राफ्ट के साथ उपमहानिदेशक (विस्तार) को प्रेषित कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में डिमांड ड्राफ्ट की धनराशि गैर-वापसी योग्य होगी। चेयर का नाम जिसके लिए जीवन-वृत्त प्रेषित किया जा रहा है, लिफाफे पर मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

**आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 12 फरवरी 2021.**

\*\*\*\*\*

**No. 163/2020/ADG(M&Extn.)/ICFRE/CoE/  
Dated: 15 January 2021  
Directorate of Extension  
Indian Council of Forestry Research & Education,  
P.O. - New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)**

**ADVERTISEMENT FOR  
CHAIR OF EXCELLENCE IN  
"TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN FOREST MANAGEMENT"**

**1. Objectives**

- Identify the technological inventions including the soft technologies, machineries and equipments in different areas of forestry management in the India and in other countries.
- Study the present practices in the country, identify the gaps and suggest possible areas /technologies/ machineries/equipments, etc., for utilisation in forest management.
- Identify areas and research/extension needs in the subject for developing and disseminating technologies considering specific requirements for the country.

**2. Scope of Services, Tasks (Components) and Expected Deliverables**

- To study the present practices in the country and that of other countries in various areas of forest management with regard to the use of technologies (including soft technologies, machineries and equipments).
- To suggest the areas/fields for utilisation of these technologies adopted in India and in other countries.
- To analyse the cost benefits of utilisation of these technologies over the present practices.
- To study the mechanisms for adoption of these technologies including analysis of the patenting rights, import and manufacture, cost of adopting of the technologies, etc.,
- To suggest possible areas of research in the subject including research on the site specific requirements of the country.
- To document all these aspects of the study and bring out a publication (online and hardcopy) for use of various stakeholders in the country.
- Develop outreach/training material and organise training/workshops on the subject.
- Provide specific academic inputs to FRI Deemed University students on the subject.
- In addition to the above, the Chair may also be assigned any other tasks related to the subject matter.

### **3. ELIGIBILITY CRITERIA**

#### **3.1 Essential Qualifications:**

- (i) Forestry research/academic professionals with doctorate and 15 years of experience in relevant field OR (ii) Masters with 15 years of service in Indian Forest Service out of which a minimum of 5 years experience in forestry research/academics
- Publications in reputed national & international journals.
- Experience in successful national/international level project formulation/management/ implementation/monitoring.
- Experience of working with Govt. of India organization and networking with Government/Non Governmental national and international organizations.

#### **3.2 Desirable Qualifications:**

- a) National/International recognition in relevant field.
- b) Member/fellow of various national & international academic councils/bodies.
- c) Experience in modern scientific techniques including GIS & IT based solution.

### **4. NATIONALITY**

The person appointed to the chair will be Indian national.

### **5. AGE LIMIT**

The person applying for the position of chair shall not be more than **65 years as on 31/01/2021.**

### **6. HONORARIUM AND FACILITIES**

- The remuneration to be paid to the chair shall be in the form of chair fellowship.
- The amount of the fellowship shall be a consolidated amount of Rs. 80,000/- per month. Taxes etc. shall be deducted as per prevalent rules of the Government of India.
- The fellowship shall be paid by the ICFRE (HQ).
- Subject to availability, accommodation may be provided to the chair in the hostels/campus on usual payment of fees.
- The chair shall be allowed travelling expenses as per ICFRE Rules.
- The chair shall be provided office space and secretariat assistance by the Directorate of Extension.

### **7. REVIEW**

The progress/performance of the work, assigned to the chair shall be reviewed by a Review Committee constituted in this respect.

## 8. GENERAL CONDITIONS

- A memorandum of agreement shall be signed for "Technological Advancement in Forest Management" chair between the ICFRE and the person appointed to the chair.
- The duration of the chair shall be up to the period of 12 months extendable by a maximum period of up to 12 months by DG, ICFRE.
- The chair may leave the position giving two month advance notice.
- The duration of the chair may be curtailed by the Director General, ICFRE if the performance of the Chair is not satisfactory.
- Head Quarter of the chair shall be at the ICFRE (HQ).
- All the material, modules, course curricula etc, developed by the chair shall be the property of the ICFRE.

## 9. ARBITRATION

- In case of any dispute, DG, ICFRE shall be the sole arbitrator.
- All the disputes arising out of the provisions of these guidelines or otherwise shall be subject to Courts with jurisdiction of the Headquarters of the Chair.

**How to apply:** The interested persons are to send their curriculum vitae along with all necessary documents in support of qualifications and experiences etc. to the Deputy Director General (Extension), P.O. New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand), along with a demand draft of Rs. 1000/- in favour of *DDO, ICFRE Revenue Account, Dehradun*. The amount of Demand draft is non-refundable in any case. The name of the chair for which CV is submitted should be boldly super scribed on the envelope.

**Last Date of application: 12/02/2021.**

\*\*\*\*\*